न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल जांगिड, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 62/2020

वादीगण :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
1. रोशन बानु पत्नि मासुक अली,		1. ओंकारसिंह पुत्र जवानसिंह
2. वाहिदा बानो पत्नि यासीन अली		2. जसवंतसिंह पुत्र जवानसिंह
3. शाहनुर बानो पत्नि मोहम्मद सलीम		3. दलपतसिंह पुत्र जवानसिंह
4. साईना बानु पत्नि मोहम्मद सलीम, जाति रंगरेज मुसलमान, नि0 केरिया दरवाजा, तह0 सोजत जिला पाली।		4. नरेन्द्रसिंह पुत्र जवानसिंह
		5. नरपतसिंह पुत्र जवानसिंह
		6. पर्वतसिह पुत्र जवानसिंह जातिगण राजपुत नि0 बागावास, तह0 सोजत जिला पाली राज0।
		7. सूरज कंवर पुत्री जवानसिंह जाति राजपूत नि0 मगरतला तह0 मारवाड जक्शन, जिला पाली।
		8. तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. प्रति सख्या 08 तहसीलदार, सोजत स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक – 28.10.2021

अधिवक्ता मय वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा बागावास प0 ह0 धाकडी तह0 सोजत के खसरा नबर 1173/1713 रकबा 3.7070 है0 किस्म बारानी दौ0 लगान 18.54 रूपये की कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित है। उक्त कृषि भूमि में वादी संख्या 01 का 1/10 हक हिस्सा, वादी संख्या 02 का 3/10 एव वादी संख्या 04 का 1/10 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का आया हुआ स्थित है यानि वादीगण का सयुक्त रूप से 8/10 यानि 4/5 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का बनता है। जिस पर वादीगण बतौर खातेदार वक्त खरीद से लेकर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 01 से 07 का प्रत्येक का 1/35–1/35 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का है। वादग्रस्त कृषि भूमि का पूर्व में वादीगण के प्रिन्सिपल विक्रेता एवं प्रतिवादीगण के बीच मौखिक बंटवाड़ा हो चुका है तथा सभी खातेदार मौके पर अलग अलग काबिज काश्त हो गये थे। वादीगण के प्रिन्सिपल विक्रेता द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि मे अपने बंट व हिस्से की कृषि भूमि पर कब्जा मुक्त बेचान वादीगण को सुपुर्द कर दिया गया था, जिससे मौके पर आज भी वादीगण एवं प्रतिवादीगण अलग अलग काबिज काश्त चले आ रहे है। वादग्रस्त कृषि भूमि का बटवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के किया हुआ नहीं होने से वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच धोरा पाली एवं माठो को लेकर वाद विवाद होता रहता है तथा प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त मे बाधा अवरोध एवं दखलअंदाजी पैदा करते रहते है। पूर्व में हुए मौखिक बंटवाडे के अनुसार वादीगण के बंट हिस्से की कृषि भूमि में वादीगण ने लाखों रूपये खर्च कर खाद व उपजाउ मिटटी डलवाकर उपजाउ बनाया है। दिनांक 23.09.2020 को वादीगण अपने बंट व हिस्से की कृषि भूमि मे खडी फसल की अवेराई करवा रहे थे। उस समय प्रतिवादीगण ने मौके पर

उपखण्ड अधिकारी सोजत

आकर धोरा पाली एव माठो को लेकर वाद विवाद किया, उस समय वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवाडा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस करवाने के लिए तहसील कार्यालय उपस्थित होने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने एक साथ तहसील कार्यालय में उपस्थित होने में असमर्थता जाहिर की तथा बंटवाडा करवाने से साफ इंकार कर दिया। वादीगण के कब्जे काश्त मे प्रतिवादीगण ने काश्त करने में बाधा, अवरोध एवं दखलअंदाजी पैदा करना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में वादीगण के पास वाद पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रहने से यह वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादीगण ने वादपत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेज पेश कर माफिक दावा वाद डिक्री किया जाकर वादग्रस्थ कृषि भूमि सरहद मौजा बागावास, पटवार हल्का धाकडी तह0 सोजत के खसरा नंबर 1173/1713 रकबा 3.7070 है0 किस्म बा0दो0 लगान 18.54 रू0 का बंटवाडा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस किया जाकर वादीगण का संयुक्त रूप से 4/5 हिस्से की कृषि भूमि को अलग किया जाकर अलग से कब्जा सुपुर्द करवाये जाने एव वादी गण के कब्जे काश्त मे दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को पाबन्द किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सख्या 02 से 05 की तामिली सूचना बावजूद बार-बार आवाजे दिलाये जाने पर अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 08.01.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण संख्या 07 को जारी सम्मन जरिये रजि0एडी0 डाक जारी होने पर पुनः लिफाफा की पुश्त पर लेने से इन्कार होकर डाक कार्मिक की रिपोर्ट के साथ पुनः प्राप्त हुआ, सा0मि0 है। दिनांक 31.03.2021 को आदेश 05 नियम 20 का प्रार्थना पत्र पेश होने पर वाद विधिक सुनवाई सम्मन अखबार साया होकर प्रतिवादी सख्या 01, 05, व 6 के सम्मन चस्पा होकर फहरिस्त के साथ पेश किये सा0मि0 है। बावजूद तामिलि / सूचना बार बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी संख्या 01, 05 व 06 के विरूद्ध दिनांक 14.07.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 08 तहसीलदार सोजत जबाब दावा में वाद पत्र के तथ्यों को कानूनी एवं स्वयं सिद्ध करना अंकित किया है। हस्ब ईस्तदुआ अधिवक्ता वादीगण बहस सूनी जाकर माफिक माफिक राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर कब्जे अनुसार वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर मौजा बागावास के ख0न0 1173/1713 कुल रकबा 3.7070 किस्म बारानी दौयम कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा करवाकर खाता व लगान अलग-अलग किये जाने तथा मौके पर नाप-चौप करके नेखम बन्दी एवं पत्थरगढी करवाई जाकर विभाजन प्रस्ताव एवं नजरी नक्शा बनाया जाकर पालना भिजवाने हेतु तहसीलदार, सोजत को अधिकृत किया करके तहरीर मय प्राथमिक डिक्री भेजी जाकर पत्रांक/कोर्ट/2021/901 दिनाक 06.08.2021 द्वारा लिखा जाकर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी की अनुपालना चाही गई।

तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/राजस्व/2021/3746 दिनांक 24.09.2021 को प्राथमिक डिक्री मय विभाजन प्रस्ताव एवं नजरी नक्शा राज0 काश्त0 अधि0 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार कर प्रस्तुत किया। अधिवक्ता वादीगण ने माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वाद डिकी किया जाकर बंटवाडा किये जाने की ईश्तदुआ की हे। बहस अधिवकता वादीगण एवं तहसीलदार सोजत सूनी गई। पत्रावली का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया गया। प्राथमिक डिक्री

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

मय विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सोजत के विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत पत्रांक / राजस्व/2021/ 3746 दिनांक 24.09.2021 का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा उक्त वाद डिक्री किया जाकर विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाडा किया जाना उचित समझते है।

-: आदेश :-

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा बागावास तह0 सोजत के ख0न0 1173/1713 कुल रकबा 3.7070 किस्म बारानी दौयम की भूमि का पक्षकारो के मध्य खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाकर विवादग्रस्त भूमि का बंटवाडा किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0स0	रकबा	किस्म	लगान
1.	ओंकारसिंह 1/7, जसवंतसिंह 1/7, दलपतसिंह 1/7, नरेन्द्रसिंह 1/7, नरपतसिह 1/7, पर्वतसिंह 1/7 पि0 जवानसिंह, सूरज कवर पुत्री जवानसिह 1/7 कौम राजपूत सा0 देह खातेदार	1954/1173	0.7414	बा0दो0	3.70
2.	रोशन बानु पत्नि मासुक अली 1/8, वाईदा बानु पत्नि मालुक अली 3/8 शाहनुर बानो पत्नि आशिक अली 3/8, साईना बानु पत्नि मोहम्मद सलीम 1/8 कौम रगरेज मुसलमान सा0 केरीया दरवाजा पाली खातेदार	1173/1713	2.9656	बा0दो0	14.84
	कुल योग	02	3.7070	बा0दो0	18.54

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना हेतु तहसीलदार सोजत को तहरीर जारी की जावे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 28.10.2021 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अन्तिम डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. रोशन बानु पत्नि मासुक अली,		1. ओंकारसिंह पुत्र जवानसिह
2. वाहिदा बानो पत्नि यासीन अली जाति		2. जसवंतसिंह पुत्र जवानसिंह
		3. दलपतसिंह पुत्र जवानसिह
3. शाहनुर बानो पत्नि मोहम्मद सलीम		4. नरेन्द्रसिंह पुत्र जवानसिंह
		5. नरपतसिह पुत्र जवानसिंह
4. साईना बानु पत्नि मोहम्मद सलीम, जाति रंगरेज मुसलमान, नि0 केरिया दरवाजा, तह0 सोजत जिला पाली।		6. पर्वतसिह पुत्र जवानसिंह जातिगण राजपुत नि0 बागावास, तह0 सोजत जिला पाली राज0।
		7. सूरज कंवर पुत्री जवानसिंह जाति राजपूत नि0 मगरतला तह0 मारवाड जक्शन, जिला पाली।
		8. तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या :– 62 / 2020

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री महेन्द्र चौधरी एवं प्रतिवादी तहसीलदार सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा बागावास तह0 सोजत के ख0न0 1173 / 1713 कुल रकबा 3.7070 किस्म बारानी दौयम की भूमि का पक्षकारो के मध्य खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाकर विवादग्रस्त भूमि का बंटवाडा किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाना है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	ओंकारसिंह 1/7, जसवंतसिंह 1/7, दलपतसिंह 1/7, नरेन्द्रसिंह 1/7, नरपतसिंह 1/7, पर्वतसिंह 1/7 पि0 जवानसिंह, सूरज कंवर पुत्री जवानसिंह 1/7 कौम राजपूत सा0 देह खातेदार	1954 / 1173	0.7414	बा0दो0	3.70
2.	रोशन बानु पत्नि मासुक अली 1/8, वाईदा बानु पत्नि मालुक अली 3/8 शाहनुर बानो पत्नि आशिक अली 3/8, साईना बानु पत्नि मोहम्मद सलीम 1/8 कौम रंगरेज मुसलमान सा0 केरीया दरवाजा पाली खातेदार	1173 / 1713	2.9656	बा0दो0	14.84
	कुल योग	02	3.7070	बा0दो0	18.54

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एव तरमीम कर पालना हेतु तहसीलदार सोजत को तहरीर जारी की जावे। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील / तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी

डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं ग

मीजान –

मुबलिग –   बाबत ––

खर्चा इस मुकददमे के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 28.10.2021 को जारी की गई।

(गोपाल ...गिड)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

मददई	रूपया	न.पै.	मुददायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			